

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर

दिनांक :- 5-6-2018

स्थान :- जयपुर

पीठासीन अधिकारी :- श्री रवि बिहारी

उनवान

(1) शंभुशंकर पुत्र चन्ना बार्ति-मीणा निवासी- गुलाबबाड़ी वरु-शाहपुरा जयपुर

वादीगण

बनाम

- (1) मंगली देवी देवा कनुमान उसाद बार्ति-मीणा
 - (2) सुनील
 - (3) योगेश
 - (4) मोमजहाश
 - (5) तनवीर अहमद शाहपुरा जयपुर
- उनवान कनुमान उसाद सगस्ट बार्ति-मीणा निवासी

प्रतिवादीगण

दावा बाबत :- 53,188 रु. के लिए
 मुकदमा नम्बर :- 38/2017
 निर्णय दिनांक :- 5/6/2018

अतः दावा शक्य होकर ही जाबना से तनवीर अहमद शाहपुरा से जप्त करवाया गया है। मुकदमा अखिलेश्वरी सिंगा बारा है। मा-ख-न-382/650 रुका 0-2900 रु, 470 रुका 0-3300, 475/672 रुका 0-2500 रुका सिंग 3 रुका 0-8700 के-बाके गाम भावीपुरा वरु शाहपुरा जयपुर के मन्च सिंग बरबारा सिंगा जाता है उके प्रक-प्रक खातेदार का इत्तार पोषित सिंगा जाता है

- (1) बारी के बरबारे से मा-ख-न-470/0-13, 382/650 रुका 0-10, 382/690 रुका 0-02, 475/691 रुका 0-1250 रुका सिंग 14 रुका 0-3750 के-बरबारे से रहेगे।
 - (2) शं.स.1 लगा.4 के बरबारे से मा-ख-न-470/2 रुका 0-08, 382/689 रुका 0-17, 475/672 रुका 0-1250 रुका सिंग 3 रुका 0-3750 के-किस्ता रहेगा
- नोट- मा-ख-न-470/1 रुका 0-12 के-अति शाहपुरा से रहेगी।
 रिपोर्ट बरबारा व नम्बरा के स सिंग सिंग सुल रहेगा। बरबारा शक्य इतिमै अग्र-ररासद सिंगा बावे।

सहायक कलक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 कार्यपालक न्यायाधीश (कलक्टर)
 पदेन सहायक कलक्टर शाहपुरा (जयपुर)

P.T.O

5-6-18
बगावट

पहाकाशन को स्वामी सिधायल्ला से बाबत किमा बाग है कि वं बटवाया
दिपोट के अउवार एक दूसरे के कछे भारत में किली उकार की प्रवाप्रत वेद
नही करे ।

अमपिहाशयन अपग-अफा बतर करेगे ।
मर आज लारीक 5-6-18 को मैरे कलवाहाट हवे-भाभालय ठाका बगावट दी गई

Handwritten text in Hindi, mostly illegible due to fading.

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट)
आहपरा जिला-जयपुर

Handwritten text in Hindi, mostly illegible due to fading.

—अमपिहाशयन—
दिपोट
आहपरा

Large block of handwritten text in Hindi, mostly illegible due to fading.

मालय
ग
दिनांक आज
कार्यवाही